# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 38/2024 FSSA**

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री यादराम गुर्जर पुत्र श्री रामखिलाडी
   मैसर्सः—जोगीयों का पुरा पीपलखेडा दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड
   पताः—जोगीयों का पुरा पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 04.10.2023 को प्रातः 10:45 बजे मैसर्सः— जोगीयों का पुरा पीपलखेडा, दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड, जोगीयों का पुरा पीपलखेडा, तहसील महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर मैनेजर श्री यादराम गुर्जर पुत्र श्री रामखिलाडी उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को उक्त डेयरी का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर साफ सुथरी प्लास्टिक कैन में लगभग बीस किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 800 ग्राम मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** खरीदी। जिसकी कीमत 240 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** को हिला—मिलाकर मैश कर चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 16—16 बूंदे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक **AG**—3893 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**—3893 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 05.10.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओं को जमा करवाये व रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाल राजस्थान अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1821/एक्ट/2023/1843 दिनांक 16.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान उपस्थित नहीं आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1821/एक्ट/2023/1843 दिनांक 16.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** के नमूने में **Acidity of Cream** 0.20 **%** पायी गयी है जो कि **0.15 %** से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। इस प्रकार से उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **Acidity of Cream** तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** का बिना खाद्य पदार्थ लाईसेन्स के विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार दया इण्डस्ट्रीज पीपलखेडा तहसील महवा जिस समिति का मैनेजर हेमराज गुर्जर है। इस समिति के पास ही प्रार्थी का बडा भाई दयाराम गुर्जर जोगीयों का पुरा जिला सह[illegible]ति लिमिटेड जिसका सचिव भी प्रार्थी का बडा भाई दयाराम गुर्जर है जो [illegible] प्रार्थी यादराम गुर्जर जोगीयों का पुरा दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड [illegible] बैठा हुआ था, तब ही मेरे पास पास की दुकान दया इण्डस्ट्री पीपलखेडा पर निरीक्षण के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी पहुंचे तथा दया इण्डस्ट्रीज से मिल्क क्रीम का नमूना कोड संख्या **AG**–3893 दर्ज करते हुये मौके पर दया इण्डस्ट्री का मैनेजर हेमराज गुर्जर नहीं था। इसलिये मेरे बडे भाई दयाराम गुर्जर की समिति जोगीयों का पुरा पर प्रार्थी बैठा हुआ था। तब उक्त जांच अधिकारी मेरे पास आकर कहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumita Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आप इस नमूने की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दो तो मैने मना कर दिया। जांच अधिकारी ने कहा कि दया इण्डस्ट्रीज का मैनेजर हेमराज गुर्जर मौके पर नहीं होने से तुम्हारे गवाह के रूप में हस्ताक्षर करवा रहा हुं। इससे आपको व आपके बडे भाई की समिति जोगीयों का पुरा महिला सहकारी समिति लिमिटेड को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिये प्रार्थी ने उनके बताये अनुसार हस्ताक्षर कर दिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट कतई गलत है। जोगीयों का पुरा पीपलखेडा दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड जोगीयों का पुरा पीपलखेडा से कोई क्रीम का नमूना नहीं लिया गया है। प्रार्थी इस समिति का मालिक भी नहीं है। रिपोर्ट बनाई गई है जो कतई गलत है। अतः नमूना रिपोर्ट की कार्यवाही को ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1821/एक्ट/2023/1843 दिनांक 16.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** का बिना खाद्य पदार्थ लाईसेन्स के विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ मिल्क क्रीम लूज **(Milk Cream Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री यादराम गुर्जर पुत्र श्री रामखिलाडी मैसर्सः–जोगीयों का पुरा पीपलखेडा दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड निवासी जोगीयों का पुरा पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा पर 5,00,000/–( अक्षरे पांच लाख रूपये ) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.12.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( सुमित्रा पारीक )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2024/ दिनांकः– 30.12.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री यादराम गुर्जर पुत्र श्री रामखिलाडी
   मैसर्सः–जोगीयों का पुरा पीपलखेडा दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड ?
   पताः–जोगीयों का पुरा पीपलखेडा तहसील महवा जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:03 IST
Reason: SelfAttested

( सुमित्रा पारीक )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official